

Laid on the Table the Statements of Standing Committee on Social Justice and Empowerment

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) के 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन के लिए योजना का आकलन' के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 23 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 36 वें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 30 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37 वें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 42 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 49 वें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

12.06 hrs